न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या–44 / 2024

U/S 139 of C.N.T. Act.

कामेश्वर प्रसाद

बनाम्

बिरेन्द्र प्रसाद वगैरह

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदक कामेश्वर प्रसाद, पे0–स्व0 बुधन साव, सा0+थाना+जिला–लातेहार द्वारा अंचल अधिकारी, लातेहार के दाखिल खारिज वाद संख्या–332 / 91–92 से शिवनन्दन साव के नाम पर कायम जमाबंदी को निरस्त करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–139 के तहत् दाखिल आवेदन के अलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा लातेहार के खाता नं0–13 प्लॉट नं0–216 रकबा–0.02 ए0 आवेदक की रैयती भूमि है। उक्त भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। वादगस्त भूमि का जमाबंदी उनके पूर्वज के नाम पर कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है। इसी बीच आवेदक को पता चला कि उसकी जमीन मौजा लातेहार के खाता नं0–13 प्लॉट नं0–216 रकबा $0.0\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का जमाबंदी नामान्तरण वाद संख्या–332 / 91–92 से किसी शिवनन्दन साव के नाम पर परिवर्तित कर कायम कर दिया गया है। अंचल

12/8

अधिकारी, लातेहार द्वारा आवेदक की भूमि रकबा–0.0$\frac{1}{2}$ ए0 का शिवनन्दन साव के नाम पर कायम किया गया जमाबंदी गलत और अवैध है, क्योंकि शिवनन्दन साव का उक्त जमीन से कोई सरोकार नहीं है और न हीं उनके पास कोई अधिकार स्वामित्व एवं दखल–कब्जा है। दिनांक 15.05.2023 के अंचल निरीक्षक, लातेहार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का भूमि पर भौतिक रूप से दखल–कब्जा है, जिसके आधार पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 18.12.2021 को आदेश पारित किया गया है। विवादग्रस्त भूमि पर सभी अधिकार स्वामित्व एवं दखल–कब्जा आवेदक का है। फिर भी खाता संख्या–13 प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.02 ए0 में से रकबा–0.0$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा अवैध रूप से शिवनन्दन साव के नाम पर जमाबंदी कायम किया गया, जिसकी जानकारी होने के बाद जमाबंदी को रद्द करने के लिए यह याचिका दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास यह मामला दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता बेदाग हाथ से नहीं आया है। वह द्वेषपूर्ण इरादे से यह मामला दर्ज कराया है। आवेदक वास्तविक तथ्य को छुपाने का भी दोषी है। उन्होंने हकिकत तथ्य को सामने नहीं रखा है। याचिकाकर्ता द्वारा शिवनन्दन साव के नाम पर वर्ष 1991–92 से चल रहे भूमि का जमाबंदी को रद्द कराना चाहता है।

वादग्रस्त भूमि रकबा–0.02 ए0 का गत सर्वे खतियान सुकन साव के नाम पर दर्ज है। खतियानी रैयत सुकन साव अपने दो पुत्र अकलू साव एवं भकलू साव को छोड़कर मृत हो गए। दोनों भाईयों को एक–एक डिसमिल जमीन हिस्सा में आया। अकलू साव भी दो पुत्र छेदी साव एवं बुधन साव को छोड़कर मर गए। दोनों को आधा–आधा डिसमिल जमीन हिस्सा में आया। छेदी साव अपने पत्नी एवं नबालिक पुत्री को छोड़कर मृत

हो गए। छेदी साव की विधवा पत्नी एवं नबालिक पुत्री के हिस्से का लाभ लेने के लिए छेदी साव की विधवा पत्नी से बुधन साव पुनर्विवाह कर लिये, जो मो0–2000/– (दो हजार) रूपये मूल्य पर निबंधित केवाला सं0–13333/1971 से शिवनन्दन साव के साथ रकबा–0.0$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि बेंच दिये तथा मूल्य की राशि पाकर भूमि के क्रेता शिवनन्दन साव को भूमि पर दखल–कब्जा दे दिये। शिवनन्दन साव अपने खरीदगी भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या–332/1992–92 से सरकारी सिरिस्ते में आपने नाम पर भूमि का जमाबंदी कायम कराया। शिवनन्दन साहु अपने जीवन काल में भूमि पर अधिकार स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण रूप से दखल–कब्जा में रहे। शिवनन्दन साहू दो पुत्र बिरेन्द्र प्रसाद एवं वृजकिशोर प्रसाद को छोड़कर मृत हो गए, जो इस वाद के विपक्षी है तथा शेष विपक्षी उनके पोता है। शिवनन्दन साहु के मृत्यु के बाद विपक्षी अपने अधिकार, स्वामित्व एवं दखल–कब्जा में चले आ रहे है। शिवनन्दन साव अपने जीवन काल तक सरकार को उक्त भूमि का लगान चुकाया। उसके बाद विपक्षी नियमित रूप से सरकार को लगान राशि का भुगतान एवं लगान रसीद प्राप्त कर रहे है। विपक्षी नगर पंचायत, लातेहार को विवादित भूमि का होल्डिंग टैक्स भी दे रहे है। यह एक भूमि विवाद है, जिसका निर्णय इस न्यायालय में नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ता कामेश्वर साव का कथन विल्कुल मनगढ़त एवं बेबुनियाद है। उनके द्वारा इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, कि उन्हें शिवनन्दन साव के नाम पर भूमि उत्परिवर्तन के बारे में कब जानकारी मिली। दरअसल कामेश्वर साव को वर्ष–1991–92 से हीं शिवनन्दन साव के दाखिल खारिज की पूरी जानकारी थी।

आवेदक द्वारा दावा किया गया है कि विपक्षी के पास कोई अधिकार, स्वामित्व और कब्जा नहीं है। विपक्षी के पास भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा के साथ–साथ पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व है। इस न्यायालय

को विवादित भूमि का हक–अधिकार, स्वामित्व एवं दखल–कब्जा निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।

आवेदक द्वारा अंचल निरीक्षक, लातेहार को जांच प्रतिवेदन एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार के विविध वाद सं0–583/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के समक्ष अपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या–09/22 लाया गया, जिसके तहत् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा विविध वाद में आदेश पारित किया गया है। विविध वाद संख्या–583/2021 अशुद्ध होने के कारण प्रभावहीन हो गया है। कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। लम्बे समय से चली आ रहीं जमाबंदी को व्यवहार न्यायालय द्वारा ही रद्द किया जा सकता है। Bihar Tenant Holding (Maintenance of Records) Act. 1973 की धारा–14 के तहत् शिवनन्दन साव का जमाबंदी कायम किया गया है, जिसे राज्य को जमाबंदी रद्द करने का प्रावधान नहीं है। आवेदक कामेश्वर साव को वाद दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के वाद संख्या–WP(C) No.-6609/2013 (महेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 07.07.2022 के पारित आदेश के कंडिका–9 में उल्लेखित तथ्यों को रखते हुए कहा गया कि "This Court has proceeded to consider the facts of the given case, as to whether, the issue which has been raised on befalf of the petitioner about absence of the statutory provision for cancellation of Jamabandi, has posed a question upon the learned State Counsel to refer any statutory provision which confers power upon the revenue authority to cancel the Jamabandi. Upon which, the State Counsel has fairly submitted

that there is no such provision to that effect prevalent in the state of Jharkhand."

उक्त आलोक में आवेदक कामेश्वर साव द्वारा दाखिल आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकनोपरान्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया।

1. अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का दाखिल–खारिज वाद संख्या–332/91–92 में दिनांक 20.09.1991 को आम इस्तेहार निर्गत कर दिनांक 15.10.1991 तक आपत्ति आवेदन की मांग की गयी थी। निर्धारित तिथि तक किसी का आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं होने के उपरान्त कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिवनन्दन साव पिता–स्व0 कौलेश्वर साव सा0–पण्डेपुरा के नाम पर अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया है।

   इस प्रकार अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल–खारिज के प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है।

2. Bihar Tenant Holding (Maintenance of Records) Act. 1973 की धारा–14 की उप–धारा (2) के तहत् अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल किये जाने का प्रावधान है।

3. अंचल अधिकारी, लातेहार पत्रांक 572 दिनांक 12.07.2024 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का जमाबंदी दाखिल–खारिज वाद संख्या–332/91–92 के आलोक में शिवनन्दन प्रसाद

12/8

पिता–कौलेश्वर साव के नाम पर चलने तथा स्थल जांच में ग्रामीणों द्वारा कामेश्वर प्रसाद का भूमि पर पूर्व से दखल–कब्जा एवं वर्तमान में छड़ बांधकर पीलर खड़ा किये जाने का उल्लेख किया गया है।

4. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जिला निबंधक, पलामू से दिनांक 04.09.1986 को निर्गत केवाला की सच्ची प्रतिलिपि के अनुसार बुधन साहू पिता अकलू साव वो नाबालिक मीना कुमारी पिता–छेदी साव निवासी लातेहार द्वारा मो0–2000/–(दो हजार) रूपये में मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि शिवनन्दन साह पिता–स्व0 कौलेशर साह सा0–पाण्डेपुरा, थाना–लातेहार के साथ बिक्री की गई है।
5. आवेदक द्वारा विपक्षी के केवाला को किसी सक्षम न्यायालय से अवैध घोषित किए जाने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. निबंधित केवाला को रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–139 के तहत् दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.10.01 12:34:48 +05:30
Location: 192.168.25.143

उपायुक्त,
लातेहार।

12/8

उपायुक्त,
लातेहार।